महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र), भारत

[फोन नं. 07152 – 230902]

[वेबसाइट : www.hindivishwa.org]

निविदा

Tender No. : MGAHV/CD/34/2024-25/23 Date : 13.03.2025

विश्वविद्यालय परिसर स्थित डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी भवन के पास प्रोफाइल शीट से निर्मित कैंटीन का आवंटन किया जाना है। निविदा की विस्तृत/अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट *www.hindivishwa.org* का अवलोकन किया जा सकता है।

कुलसचिव

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

(संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र),
वेबसाइट :www.hindivishwa.org

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन स्थित कैंटीन का आवंटन

तकनीकी निविदा

विश्वविद्यालय परिसर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन (अकादमिक भवन) स्थित कैंटीन के आवंटन हेतु निम्नांकित शर्तों के अनुसार निविदा आमंत्रित की जाती है-

1. ₹ 500 की डी.डी. (आवदेन शुल्क) (अप्रतिदेय)	वित्ताधिकारी, म.गां.अं.हिं.वि.,वर्धा महाराष्ट्र के नाम देय
2. आधार क्रमांक (प्रमाणित प्रति) अनिवार्य।	
3. FSSAI प्रमाण पत्र	
4. PAN क्रमांक (प्रमाणित प्रति) अनिवार्य।	
5. महाराष्ट्र Shop Act प्रमाणपत्र	
6. प्रत्येक माह बिल भुगतान	बिल प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर बिल का भुगतान वित्त विभाग में करना अनिवार्य होगा।

निविदाकर्ता का पूरा नाम-

पता

- मकान संख्या-
- मुहल्ला-
- थाना -
- जिला -
- राज्य -
- पिन कोड-
- मोबाइल क्रं.-
- ई-मेल-

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

सामान्य शर्ते :

1. कैंटीन आवंटन हेतु आवेदन दिनांक 28.03.2025 अपराह्न 05:00 बजे तक स्वीकार किये जाएंगे।
2. तकनीकी (Technical) एवं वित्तीय निविदा (Financial bid) के अलग-अलग सीलबंद लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में डालकर लिफाफा बंद कर लिफाफे पर **"कैंटीन हेतु आवेदन"** स्पष्ट लिखा हुआ हो। सभी लिफाफों पर मोबाइल नंबर, फर्म का नाम एवं पता लिखना अनिवार्य है।
3. निविदा को कुलसचिव कार्यालय में रखे निविदा बाक्स (Tender Box) में डालना होगा।
4. कैंटीन का आवंटन प्रथमतः 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा, जिसे दोनों पक्षों (विश्वविद्यालय एवं आवंटी) की परस्पर सहमति के आधार पर अधिकतम 05 (पांच) वर्ष की अवधि (दो वर्ष के बाद प्रत्येक वर्ष 05% किराए में वृद्धि करते हुए) तक बढ़ाया जा सकता है।
5. कैंटीन हेतु बिजली विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके लिए अलग से मीटर की व्यवस्था होगी। बिजली की दर Maharashtra State Electricity Distribution Co. LTD. की अधिकतम व्यावसायिक दर के अनुसार प्रतिमाह आवंटी द्वारा देय होगी।
6. पानी शुल्क कैंटीन हेतु ₹ 100/- (₹ एक सौ मात्र) प्रति माह की दर से आवंटी द्वारा देय होगा।
7. कैंटीन अधिकतम सुबह 8:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक या विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित समयानुसार खुली रखनी होगी।
8. आवंटित कैंटीन को भारत सरकार/महाराष्ट्र सरकार के श्रम कानूनों, बाल मजदूरी कानूनों, दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम,वर्धा पुलिस के लाइसेंस संबंधी नियमों आदि का पालन करना अनिवार्य है। कैंटीन में नियुक्त कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कैंटीन आवंटी द्वारा सुनिश्चित कराना होगा।
9. आवंटी व्यक्ति किसी अन्य को परिसर में कैंटीन का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। साथ ही, जिस उद्देश्य के लिए कैंटीन खोलने की अनुमति मांगी गई है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य सामग्री की बिक्री/व्यवसाय करने हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
10. कैंटीन में सिर्फ बिस्किट, नमकीन, पेटीज, समोसा, कचोरी, चाय, कॉफी के अलावा रोजमर्रा की जरूरत के समान बेचने की अनुमति होगी। इससे अधिक चीज बेचने से पहले विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी।
11. कैंटीन के भीतर तथा कैंटीन परिसर में किसी भी प्रकार के भोजन, नाश्ता आदि बनाने की अनुमति नहीं होगी।
12. विश्वविद्यालय के स्थायी, अस्थायी व आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कोई भी कर्मी या विश्वविद्यालय का नियमित छात्र निविदा भरने के लिए अपात्र होगा।
13. सुरक्षा राशि के रूप में आबंटन के समय आवंटी को 10 माह के लाइसेंस शुल्क के बराबर की राशि विश्वविद्यालय के वित्त विभाग में संबंधित सूचना प्राप्ति के 07 कार्यालयीन दिवसों के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। सुरक्षा राशि पर कोई भी ब्याज़ देय नहीं होगा। अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन करने पर सुरक्षा राशि लौटायी नहीं जाएगी।
14. उक्त किसी भी निविदा एवं शर्त में परिवर्तन/परिवर्धन/निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सदैव सुरक्षित रहेगा।

15. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में माननीय कुलपति महोदय का निर्णय सर्वमान्य होगा।

16. उक्त कार्य के लिए न्याय क्षेत्र वर्धा (महाराष्ट्र) होगा।

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/ करती हूँ कि दुकान आवंटन संबंधी समस्त शर्तें मुझे स्वीकार्य हैं। इन नियमों/शर्तों को मेरे द्वारा पालन न करने की स्थिति में विश्वविद्यालय मेरी जमा सुरक्षा राशि को जब्त करते हुए आवश्यक हो तो मेरे ऊपर विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक :

स्थान :

निविदा भरने वाले के हस्ताक्षर

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

(संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र),

वेबसाइट : www.hindivishwa.org

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन स्थित कैंटीन का आवंटन

वित्तीय निविदा

क्र.	विवरण	जगह (वर्ग फीट)	न्यूनतम निर्धारित दर प्रति वर्ग फीट प्रति माह	कैंटीन के किराए की दर @₹ प्रति वर्ग फीट प्रति माह
01	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन (अकादमिक भवन)	134.05	₹ 5.00	₹ ....

निविदाकर्ता का पूरा नाम

पता

- मकान संख्या–
- मुहल्ला–
- थाना –
- जिला –
- राज्य –
- पिन कोड–
- मोबाइल नं.–
- ई–मेल–

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/ करती हूँ कि दुकान आवंटन संबंधी समस्त शर्तें मुझे स्वीकार्य हैं। इन नियमों/शर्तों को मेरे द्वारा पालन न करने की स्थिति में विश्वविद्यालय मेरी जमा सुरक्षा राशि को जब्त करते हुए आवश्यक हो तो मेरे ऊपर विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक :

स्थान : **हस्ताक्षर**